GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *83
TO BE ANSWERED ON 09.02.2023

Death of animals and humans by electrocution in and around forest

83. DR. FAUZIA KHAN:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the number of forest officers employed at each forest and sanctuary under Government;
(b) the number of deaths of wild animals and humans in the country due to electrocution from illegal electric fences put up by farmers;
(c) whether Forest Officers take note of such illegal electric fencing during rounds in the forests and if so, the details of the number of illegal electric fences found in and around forest areas; and
(d) the steps taken by Government to prevent deaths of forest animals by electrocution from illegal electric fences?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a), (b), (c) AND (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *83 REGARDING DEATH OF ANIMALS AND HUMANS BY ELECTROCUTION IN AND AROUND FOREST BY DR. FAUZIA KHAN FOR REPLY ON 09.02.2023.

(a) Posting of forest officers in forest areas and sanctuaries is the responsibility of States/UTs. Information relating to the number of forest officers employed in forest areas and sanctuaries is not compiled by the Ministry.

(b) As per information received from the Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), the number of cases of deaths of wild animals due to electrocution during the last three years are as under:

Year	Number of cases	No. of wild animals died due to electrocution
2019	22	23
2020	10	19
2021	16	18

Information relating to deaths of humans in the country due to electrocution is not compiled by the Ministry.

(c) Management of forests and wildlife is primarily the responsibility of the State/UT Forest Departments. Details relating to electric fences in and around forest areas are not compiled by the Ministry.

(d) The steps taken by the Government to prevent deaths of forest animals by electrocution include the following:

i. The Ministry has issued advisories to States/UTs on management of human-wildlife conflict.
ii. The Ministry has issued guidelines on eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructure in order to assist project agencies in designing linear infrastructure, including electric transmission lines, in a manner that reduces human-animal conflict.
iii. The National Tiger Conservation Authority (NTCA) has issued an advisory to States to deal with the mortality of tigers and sympatric species due to electrocution. Regular guidelines/directions/SOPs are issued by NTCA for protection and management of wildlife.
iv. Based on analysis of cases in which wild animals have died due to electrocution, WCCB has issued advisories to States/UTs to prevent the death/poaching of wild animals due to electrocution.

v. Financial assistance is provided by the Ministry to States/Union Territories under the Centrally Sponsored Schemes of ‘Development of Wildlife Habitats’, ‘Project Tiger’ and ‘Project Elephant’ for activities like creation of awareness, establishment of anti-poaching camps, improvement of habitat etc.

vi. The Ministry has requested user agencies to take necessary steps to comply with Indian Electricity Rules, 1956and to maintain minimum ground clearance for electric transmission lines to prevent deaths of wild animals due to electrocution.

***

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *83

09.02.2023 को उत्तर के लिए

वन में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जानवरों और इंसानों की करंट लगने से मौत

***83. डा. फौजिया खान:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के अधीन प्रत्येक वन और अभयारण्य में कितने वन अधिकारी तैनात हैं;

(ख) देश में किसानों द्वारा संस्थापित अवैध विद्युत बाड़ों से करंट लगने से कितने जंगली जानवरों की और कितने इंसानों की मौत हुई है;

(ग) क्या वन अधिकारी वनों में गश्त लगाने के दौरान ऐसी अवैध विद्युत बाड़ों का संज्ञान लेते हैं और यदि हां, तो वन क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई गई अवैध विद्युत बाड़ों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अवैध विद्युत बाड़ों के कारण करंट लगने से वन्य जीवों की मौत को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वन में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जानवरों और इंसानों की करंट लगने से मौत' के संबंध में डा. फौजिया खान द्वारा दिनांक 09.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *83 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वन क्षेत्रों एवं अभयारण्यों में वन अधिकारियों की तैनाती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा वन क्षेत्रों एवं अभयारण्यों में नियुक्त वन अधिकारियों की संख्या से संबंधित सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(ख): वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान बिजली के करंट लगने के कारण जंगली जानवरों के मारे जाने के मामलों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	मामलों की संख्या	बिजली के करंट लगने के कारण मारे गए जंगली जानवरों की संख्या
2019	22	23
2020	10	19
2021	16	18

मंत्रालय द्वारा देश में बिजली के करंट लगने के कारण मारे जाने वाले लोगों से संबंधित सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(ग): वनों और वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास विद्युत बाड़ लगाने से संबंधित ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है।

(घ): बिजली के करंट लगने से जंगली जानवरों के मारे जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

ii. मंत्रालय द्वारा परियोजना एजेंसियों को विद्युत पारेषण लाइनों सहित रेखीय अवसंरचना का डिजाइन ऐसे ढंग से, जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी लाई जा सके, तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु रेखीय अवसंरचना के प्रभाव को कम करने के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा राज्यों को बाघों एवं उनके समान प्रजातियों के बिजली के करंट लगने से मारे जाने की घटना से निपटने के लिए परामर्शिका जारी की गई है। एनटीसीए द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नियमित रूप से दिशा-निर्देश/निदेश/एसओपी जारी की जाती हैं।

iv. बिजली के करंट लगने के कारण जंगली जानवरों के मारे जाने के मामलों के विश्लेषण के आधार पर, डब्ल्यूसीसीबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली के करंट के कारण जंगली जानवरों की मौत/उनके अवैध शिकार की रोकथाम के लिए परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

v. मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केंद्र-प्रायोजित स्कीमों के तहत जागरूकता सृजन, अवैध शिकार-रोधी शिविरों के निर्माण, पर्यावास में सुधार आदि जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

vi. मंत्रालय द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 का अनुपालन करने तथा बिजली के करंट के कारण जंगली जानवरों की मौत की घटनाओं की रोकथाम हेतु विद्युत पारेषण लाइनों हेतु भूमि से न्यूनतम पेड़ों को काटने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

*****

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I would like to say to the hon. Minister, through you, that these animals from the forest come into non-forest areas and the farmers, in order to protect their crops, put up these fences and illegally electrify them. Because of that, so many tigers, leopards and even humans are being killed. Since the farmers have to protect their fields, my question to the Government would be: Can they come up with a scheme where DC current fences are given to farmers the way you give solar panels and all that? With this, the farms will also be protected and animals and women also will not be harmed.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने सही कहा है कि दिन-प्रति-दिन हमारे जो ह्यूमन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और उनकी संख्या भी मैंने दी है।

जहां तक आपने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हमारे विभाग के द्वारा 6 फरवरी, 2021 को व्यापक गाइडलाइन्स स्टेट्स को दी गई हैं। हमने सभी राज्यों से कहा है कि जिला स्तर पर, चूंकि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। पर्टिकुलर्ली जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। हमने वन विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन को यह भी कहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं परन्तु हम जानते हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है...

MR. CHAIRMAN: Pointed response, please.

श्री भूपेन्द्र यादव : हम जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है।कुछ जगहों पर, जहाँ पर विशेष रूप से एलिफेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पर हमने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की भी व्यवस्था की है। 6 फरवरी, 2021 की गाइडलाइन में सभी विषयों को पूरे विस्तार से रखा गया है।

DR. FAUZIA KHAN: My question was about having a scheme for DC current...

MR. CHAIRMAN: Madam, please put your second supplementary.

DR. FAUZIA KHAN: My second supplementary is this. In all States, particularly in Maharashtra, this pyramid which is there of the Forest Department where administrative positions have to be at the top and the executive positions down below, it is being reversed. In executive positions, the people who go to farms, to the forest to actually

safeguard it is becoming less and less and administrative positions are being expanded unnecessarily by giving additional charges.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please reply.

DR. FAUZIA KHAN: So, Sir, I just want to ask the Minister if people don't go to the headquarters, they don't stay at headquarters, what will the Government do about it? This is the reason why all this is happening.

श्री भूपेन्द्र यादव : सभापति महोदय, अगर माननीय महोदया के संज्ञान में अधिकारियों के संबंध में कोई विशेष जानकारी है तो आप हमें निश्चित रूप से उसको दीजिए, ताकि हम कार्रवाई करें।

महोदय, जहाँ तक स्कीम की बात है, तो मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा था कि 6 फरवरी, 2021 को हमने स्कीम की एक पूरी व्यापक ऐडवाइज़री जारी की है। मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा। हमने अभी तुरंत, लगभग एक महीने पहले फिर से ह्यूमन-ऐनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ऐडवाइज़री जारी की है, जिसमें कॉम्पनसेशन से लेकर अन्य सभी विषयों को रखा गया है, जो नेट पर भी उपलब्ध है और मैं आपको वह स्वयं भी उपलब्ध करवा दूंगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 84. The Questioner is not present. Any supplementaries?

* 84. *[The questioner was absent.]*